प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2022
प्र.इ.रि.स. 29/22 दिनांक 2/2/22

2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें – धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018
(ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता –
(iii) अधिनियम – धारायें –
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या 23 समय 2.15 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन व समय : मंगलवार दिनांक 01.02.2022 समय 12.25 पीएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 29.01.2022

4. सूचना की किस्म : लिखित / मौखिक : लिखित

5. घटना स्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 610 किलो मीटर
(ब) पता : तहसील कार्यालय अरथुना जिला बांसवाडा।
......................बीट संख्या ....जरायमदेही संख्या.................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो,बांसवाडा

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :

(अ) नाम :	– श्री दिनेश चन्द्र
(ब) पत्नी	– श्री कोदर लाल यादव
(स) जन्म तिथि / वर्ष	– 34 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता :	– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या	–...................... जारी होने की तिथि..................................
जारी होने की जगह.........	–...
(र) व्यवसाय	– मजदूरी
(छ) पता	– गांव दवेला(दौलतपुरा) तहसील अरथुना जिला बांसवाडा

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : श्री नागेन्द्र लाल पिता श्री वासुदेव खांट जाति भील उम्र 37 वर्ष निवासी हेरपाडा पोस्ट ओडवाडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा हाल पटवारी पटवार हल्का केसरपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।

8. शिकायत / सूचना देने वाले द्वारा सूचना देरी में का कारण : कोई विलम्ब नहीं

9. चुराई हुई / संलप्ति सम्पति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)

10. चुराई हुई सम्पति का कुल मूल्य : – 3000 / – रूपये

11. मर्ग सूचना / अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो –

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (मजमून)– . आरोपी श्री नागेन्द्र लाल हाल पटवारी पटवार हल्का केसरपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा द्वारा परिवादी श्री दिनेश चन्द्र यादव ने कृषि भुमि खाता संख्या नई 219 पुरानी 181 के आराजी सर्वे नम्बर 3194 रकबा 0.15 हेक्टर में से रकबा 0.07 हेक्टर कृषि भुमि वाके केसरपुरा पटवार हल्का केसरपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा को कय कर उसका पंजीयन दिनांक 08.07.2021 को उसकी पत्नि श्रीमती कोकिला देवी के नाम से कराया गया। उक्त भुमि का मौका मुआयना कर नपती करने एवं म्युटेशन खोलने के एवज में पूर्व में 11000 रुपये ग्रहण करना एवं 3000 रुपये रिश्वत की माग करने पर दिनांक 31.01.2022 को सत्यापन कराया गया तो रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर दिनांक 01.02.2022 को आरोपी श्री नागेन्द्र लाल पटवारी को परिवादी श्री दिनेश चन्द्र से रिश्वत राशि 3 हजार रूपये लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं। आरोपी श्री नागेन्द्र लाल हाल पटवारी पटवार हल्का केसरपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाड के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बांसवाडा।

विषयः– कानुनी कार्यवाही कराने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मै गांव दवेला(दौलतपुरा) पो. कोटडा ते. अरथुना जिला बांसवाडा का रहने वाला हूं। मुझ प्रार्थी श्री दिनेशचन्द्र यादव ने केसरपुरा नि. रंगजी पुत्र नाथु धुलजी पुत्र सवलाल ढोली उम्र सभी वयस्क से कृषि भुमि खेत जिसका खाता संख्या नई 219 पुरानी 181 के आराजी सर्वे नम्बर 3194 रकबा 0.15 हैक्टर मे से रकबा 0.07 हेक्टर कृषि भुमि बाके केसरपुरा पटवार हल्का केसरपुरा तहसील अरथुना में स्थित होकर ग्राम केसरपुरा की किमत 27000/– रुपये अक्षरे बेचान लि थी जिसके लिए मैं प्रार्थी सम्बधित के नाम से ये कृषि भुमि है या नही इसका पता करने के लिए मैंने संबधित हल्का पटवारी केसरपुरा का श्री नगेन्द्र जी से सम्पर्क किया और भुमि कि नपती के लिए बुलाये तो पटवारी साहेब ने नपती के नाम से 1000/– रुपये फिस ली तथा मैंने रजिस्ट्री कराने के बाद सारा काम रिकोर्ड में इन्द्राज म्युटेशन का कहा तो पटवारी साहेब 10,000/–रु. कि मांग कि तथा कहा की मैं सारा काम करा दूंगा तब मेरे से पटवारी साहेब में लिए तथा रजिस्ट्री के बाद मैने उन्हें म्युटेशन का कहा तो अब म्युटेशन के लिए 3,000 रुपये और मांग रहे है और कहते है कि 3000/– रु. ले के आये तब ही तुम्हारे नाम से म्युटेशन होगा। मेरा पटवारी साहेब से कोरे लेन–देन बाकी नही है। मैं पटवारी साहेब को म्युटेशन के लिए रिश्वत नही देना चाहता हूं। बाकी रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं।

दिनांक 29.01.2022 शनिवार

प्रार्थी
सही/–
दिनेश चन्द्र यादव पिता श्री कोदरलाल यादव
नि. दवेला(दौलतपुरा) ते. अरथुना जिल बांसवाडा
मो. 9586465350

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 29.01.2022 समय 03.30 पीएम

इस समय परिवादी श्री दिनेशचन्द्र पुत्र श्री कोदर लाल यादव उम्र 34 वर्ष निवासी दवेला(दौलतपुरा) तहसील अरथुना जिला बांसवाडा ब्यूरो ईकाई बांसवाडा पर हाजिर आया। परिवादी श्री दिनेशचन्द्र ने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् अति. पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। परिवादी को प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द–बशब्द सही होना स्वीकार किया। मजिद दरियाप्त पर परिवादी ने बताया कि ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का केसरपुरा तहसील अरथुना में स्थित खाता संख्या नई 219 पुरानी 181 के आराजी सर्वे नम्बर 3194 रकबा 0.15 हेक्टर में से 0.07 हेक्टर कृषि भुमि क्रय की जाकर दिनांक 08.07. 2021 को मेरी पत्नि श्रीमती कोकिला देवी के नाम उप पंजीयन अरथुना से जिला बांसवाडा से पंजीयन कराया गया। उक्त भुमि के संबध में विक्रेता के नाम से कृषि भुमि है या नही एवं भुमि की नपती के लिये पटवारी श्री नगेन्द्र से सम्पर्क किया तो पटवारी साहब ने 1000 रुपये भुमि की नपती करने के लिये एवं रजिस्ट्री के बाद राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर म्युटेशन खोलने के लिये 10,000 रुपये ले लिये। रजिस्ट्री होने के बाद मैं रोजगार के लिये अहमदाबाद(गुजरात) चला गया तथा म्युटेशन के लिये मेरे पिताजी श्री कोदर लालजी पटवारी साहब के पास गये तो उन्होंने म्यूटेशन के लिये 3000 रुपये रिश्वत की मांग की गई है। इसके बाद मैने प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान म्युटेशन हेतु दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद भी म्युटेशन नही खोला गया। मैं आज दिनांक 29.01.2022 को पटवारी साहब से मिला और म्युटेशन खोलने हेतु प्रार्थना पत्र एवं रजिस्ट्री की छायाप्रति दी गई तो पटवारी साहब ने आज भी म्युटेशन हेतु 3000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं पटवारी साहब को रिश्वत नही देकर रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। पुछताछ पर यह भी बताया कि मेरी पटवारी साहब से कोई उधारी, लेन देन बाकियात नही है ना ही किसी प्रकार की कोई आपसी रंजीश है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने पर परिवादी को ट्रेप कार्यवाही की प्रकिया भलीभांती समझायी गई। कार्यलय में रखा डिजीटल टेप रिर्काडर निकलवाया जाकर उसके संचालन की विधी पूर्णतया परिवादी को समझाई गई तथा श्री राजेश कानि. को मेरे कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी एवं श्री राजेश कानि. का आपस में परिचय कराया गया। परिवादी ने बताया कि आज दिनांक 29.01.2022 को शनिवार का अवकाश होने से पटवारी साहब पटवार मण्डल या तहसील कार्यलय में उपस्थित नही मिलेगें। दिनांक 31.01.2022 को पटवारी साहब पटवार मण्डल या तहसील अरथुना पर मिलेगें। परिवादी को दिनांक 31 01.2022 को तहसील अरथुना के आस पास मिलने हेतु मुनासिब हिदायत की गई तथा श्री राजेश कानि. को निर्देशित किया गया कि दिनांक 31.01.2022 को परिवादी से सम्पर्क नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करावें। परिवादी श्री दिनेशचन्द्र को रुखसत किया गया। दिनांक 31.01.2022 समय 08.30 एएम पर श्री राजेश कुमार कानि. को मय डिजीटल टेप रिकोर्डर ब्यूरो इकाई बांसवाडा से अरथुना जिला बांसवाडा के लिए रवाना किया गया। समय 03.00 पीएम पर परिवादी श्री दिनेशचन्द्र एवं श्री राजेश कुमार कानि0 ब्यूरो इकाई, बांसवाडा हाजिर आये और श्री राजेश कुमार कानि. द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत कर बताया कि ब्यूरो इकाई, बांसवाडा से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवानाशुदा